समाचार–प्रकाशनार्थ :–

आजादी के अमृत महोत्सव के चौथे दिन सामुदायिक व सुलभ शौचालयों की विशेष सफाई के साथ ही नागरिकों को दी गई गीला–सूखा कचरा अलग–अलग रखने की सीख

खुले में कचरा डालकर गंदगी करने वालो पर होगा जुर्माना

रतलाम 30 सितम्बर । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश और नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के कुशल मार्गदर्शन में गुरुवार को शहर के सुलभ व सामुदायिक शौचालयों की विशेष सफाई कराई गई। इस दौरान निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने एक दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों का निरीक्षण कर दुकानदारों और मकानों में रहने वाले लोगों को समझाईश दी है कि किसी भी सूरत में कचरा इधर उधर नही फेंके वरना उन्हे जुर्माना वसूली टीम का सामना करना पड़ेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने नगर निगम टीम के साथ त्रिपोलिया गेंट, चौमुखीपुल, चांदनीचौक, भगतपुरी, त्रिवेणीरोड़ सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया इसके साथ ही त्रिपोलिया गेट, नगर निगम रोड़ व सिखवाल नगर स्थित सुलभ शौचालयों व सार्वजनिक सुविधाघरों का निरीक्षण कर वहां पाई कुछ कमियों को दूर करने के निर्देश दिए है। इस मौके पर राजा ठाकुर द ग्रोइंग इण्डिया फाउन्डेशन के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

इस मौके पर आयुक्त श्री झारिया ने नागरिकों विशेषकर दुकानदारों को समझाईश दी कि अपने घर या दुकान से निकले कचरे का निर्धारित डस्टबिन में ही एकत्र कर कचरा संग्रहण वाहनों में ही डाले। ऐसा करने से वार्ड,मौहल्ले या कालोनी के आसपास लगने वाले कचरे के ढेर स्वतः ही समाप्त हो जाएगे। अगर किसी कारण से कचरा वाहन नही आता है या देरी से आता है तो वार्ड से जुड़े कर्मचारी को सूचित करे।

कचरे से भरी पॉलीथीन खाली कराई गई

सफाई मित्र समूह की टीम ने कचरे के सही निपटान को लेकर आज स्टेशन रोड़, मित्र निवास रोड़, दिलबहार चौराहा, स्टेशन रोड़, फ्रीगंज, न्यू रोड़, लोकन्द्र भवन रोड़, न्यू कोर्ट चौराहा, देवीसिंह की गली, हाथीखाना रोड़, आंनद कालोनी, मोचोपुरा व आसपास के क्षेत्रों में डोर टू डोर सम्पर्क कर लोगों के कचरा निपटान तरीके को जाना। इस दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदार व मकान में रहने वाले लोग प्लास्टिक की थैलियों में कचरा एकत्र करते हुए पाए गए। इनमें से कुछ लोग इन कचरा पैकेटों को आसपास के नाले–नालियों में डाले जाने की सूचना मिली तो सफाई मित्र समूह टीम के सदस्यों ने इन्हे अलग–अलग डस्टबिन में कचरा एकत्र करने की समझाईश देते हुए चेतावनी भी दी है कि भविष्य में सीसीटीवी कैमरों से पहचान कर इधर उधर कचरा फैंकने वालों पर जुर्माना वसूली की जाएगी।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री व स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी श्री सुरेशचन्द्र व्यास, कार्यपालन अधिकारी जीके जायसवाल, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, श्री ब्रजेश कुशवाह, कायालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े, श्री किरण चौहान, श्री विनय चौहान के अलावा श्री राजा ठाकुर, द ग्रोइंग इण्डिया फाउन्डेशन के सदस्य दिव्या प्रयास जोशी, मिली जोशी, श्रुति जोशी, शिवम, सलोनी, कीर्ति, प्रयास, दीपिका व सफाई मित्र समूह टीम के सक्रिय सदस्य उपस्थित थे।

30 सितम्बर को 97 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

रतलाम 30 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का

प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 30 सितम्बर गुरूवार को 97 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

30 सितम्बर गुरूवार को डम्पर से 49005, ट्रेक्टर से 5660, काम्पेक्टर सूखा कचरा 27670 व गीला कचरा 15335 किलो इस तरह कुल 97570 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2 अक्टूबर गांधी जयंती पर पशु वध करना, मटन विक्रय प्रतिबंधित

रतलाम 30 सितम्बर । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौश्त विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया ह कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

भवन निर्माण सामग्री फैलाने व गंदगी करने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना
गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 30 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 30 सितम्बर को 8 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आय़ुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार भवन निर्माण सामग्री फैलाकर अतिक्रमण करने व खुले में गंदगी करने पर महावीर कटारिया भगतपुरी पर 5000, प्लास्टिक हाउस माणक चौक, मिठाईवाला त्रिपोलिया गेट पर 500–500, अश्विन, राकेश त्रिपोलिया गेट, मित्र निवास रोड पर चाय वाला व कपड़े वाले पर 250–250, रकीब त्रिपोलिया गेट पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नो पार्किंग में खड़े 3 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 30 सितम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते है, उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 30 सितम्बर गुरूवार को नो पार्किंग में खड़े 3 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 30 सितम्बर गुरूवार को चांदनी चौक व शहर सराय क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर अशोक पाण्ड व दीपक–गजानन्द पटेल पर 500–500 व विशाल रघुनाथ पर 200 रूपये का जुर्माना किया गया।

नगर निगम के आईटी सेल में बनाये जा रहे है आयुष्मान कार्ड

रतलाम 30 सितम्बर। आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियां के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारेां पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे है।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

1467 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 27 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 30 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 3373 हितग्राहियों द्वारा आवेदन पस्तुत किये गये है जिसमें से 1705 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1427 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 38 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 209 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 35 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 25 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 2 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 30 सितम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 30 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक–एक हैण्ड स्प्रे मषीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 30 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने

निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 30.09.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.